नम्बर व ता
अहकाम व
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः	58 / 2008
दायर दिनांकः	25.06.2008
निर्णय दिनांकः	12.07.2022

उनवान

1. लछमा देवी पत्नि रामजीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सिण्डोली तहसील दौसा।
2. भूरा देवी पत्नि रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सिण्डोली तहसील दौसा।
3. सरजो पत्नि कैलाश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सिण्डोली तहसील दौसा।

प्रार्थीनीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0–1956 पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.60 हैक्टर की प्रार्थीनीगण खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा मौके पर काबिज रह कर काश्त कर रही है व आज भी मौके पर काबिज है। वाके ग्राम सिण्डोली तहसील दौसा में स्थित साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा की खातेदारी संवत् 2033 लगा. 2036 गैर मुमकिन चाह तलाई के रूप में अंकित है। उक्त खसरा नम्बर 323 का सैटलमेन्ट पूर्व रकबा 6 बिस्वा था। सैटलमेन्ट विभाग को रकबा बढाने व घटाने का कोई अधिकार नहीं है और सैटलमेन्ट विभाग ने यदि कोई रकबा बढाया घटाया है तो वह क्लेरिकल त्रुटि में आता है और जिसे श्रीमान् धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दुरूस्त का सकते है। सैटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 1456 बनाये गये है। साविक खसरा नम्बर 323 का रकबा 6 बिस्वा था। सैटलमेन्ट विभाग को 323 से बनने वाले नये नम्बर 1456 का रकबा मात्र लगभग 8 एयर ही दर्ज करना चाहिए था, किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से खसरा नम्बर 1456 का रकबा 0.38 है0 दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। उक्त गलत इन्द्राज की प्रार्थीनीगण को कतई जानकारी नही थी। दिनांक 12.06.2008 को पटवारी हल्का ने प्रार्थीनी नम्बर 1 को धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे में खसरा नम्बर 1456 की भूमि का [illegible] आ रहा है या तो उसे खाली कर देना अन्यथा मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करके [illegible] खाली करवाऊँगा। तब प्रार्थीनी नम्बर 1 ने पटवारी हल्का से कहा कि मैं तो [illegible] खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.60 है0 रकबे पर काबिज हूँ। पटवारी हल्का ने बताया ख0 नं0 1456 का रकबा रिकार्ड में 0.38 है0 दर्ज हो रहा है, इसलिए 0.38 है. रकबा नाप कर अलग करूंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....2.....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

तथा शेष भूमि पर तुम्हारा कब्जा छोडूंगा। तब प्रार्थीनी ने उक्त रिकार्ड की नकलें निकलवायी तो गलती की जानकारी हुई जिसे दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हुआ। अतः साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम सिण्डोली से बने हाल खसरा नम्बर 1456 का रकबा 0.08 है0 दुरूस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाव चाहा गया। पैरोकार सरकार/तहसीलदार सैंथल ने प्रस्तुत जवाब में कथन किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड भू–प्रबन्ध पूर्व साबिक खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा बंजड सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है तथा साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 चाह दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध पश्चात् साबिक ख0नं0 323 के हाल ख0नं0 1456 रकबा 0.38 है0 बनाये गये एवं साबिक ख0नं0 324 के हाल ख0नं0 1457 रकबा 0.02 है0, 1458 रकबा 0.07 है0, 1459 रकबा 0.60 है0 बनाये जाकर सिवाय चक राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड की गई। भू–प्रबन्ध पश्चात् हाल ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 का कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन सोनीलाल पुत्र भौरीलाल कौम नाई सा0 देह को किया गया जिसकी खातेदारी जरिए नामान्तरकरण सं0 377 ग्राम सिण्डोली दर्ज रिकार्ड की गई। प्रार्थीगण द्वारा आवंटी खातेदार सोनीलाल पुत्र भौरीलाल जाति नाई से उक्त भूमि ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा भू–प्रबन्ध पश्चात् हुए आवंटन की खातेदारी उपरान्त क्रयशुदा रकबा है तथा प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 1456 रकबा 0.60 है0 भू–भाग खरीद किया है। अन्य कोई भू–भाग गत रिकार्ड में भी सिवाय चक राजकीय भूमि थी एवं आज भी राजकीय भूमि है। प्रार्थी के रकबे में किसी प्रकार की कमी–बेशी नहीं की है। लिहाजा प्रकरण 136 एल.आर. एक्ट में चलने योग्य नहीं होकर किसी प्रकार के अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की कमी–बेशी नही की गई बल्कि मौके की स्थिति अनुसार रिकार्ड तहरीर किया गया। गत रिकार्ड में ख0नं0 323–324 सिवाय चक भूमि थी जो भू–प्रबन्ध पश्चात् भी सिवाय चक दर्ज की गई तथा नवीन ख0नं0 मौके अनुसार तहरीर किये गये है। गत ख0नं0 323–324 सिवाय चक भूमि के हाल ख0नं0 1456, 1457, 1458, 1459 बनाये जाकर सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है तथा भू–प्रबन्ध पश्चात् उक्त नवीन खसरा नम्बर 1459 रकबा 0.60 है0 का आवंटन सोनीलाल पुत्र भौरीलाल को किया गया जिससे ही प्रार्थीगण द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 क्रय किया गया है। क्रयशुदा भूमि का क्रेतागण खातेदार दर्ज रिकार्ड है फिर दुरूस्ती प्रार्थना–पत्र क्यों कर दिया गया है रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता न ही प्र[illegible]ा 136 के तहत आता है। प्रार्थी को ख0नं0 323 की दुरूस्ती के [illegible] भूमि सरकारी थी एवं आज भी सरकारी है जो सही है। प्रार्थना पत्र का चरि[illegible] मनगढ़न्त एवं सरकारी भूमि को बिना किसी आधार के हडपने की साजिश मात्र है। [illegible]ना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत नहीं आता एवं न ही किसी प्रकार की दुरूस्ती योग्य है। अतः प्रकरण काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीनीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया तथा साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा वाके

लगातार....3.....

ग्राम सिण्डोली से बने हाल खसरा नम्बर 1456 का रकबा 0.38 है0 के बजाय 0.08 है0 दुरूस्त करने का कथन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीनीगण की ओर से साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम सिण्डोली से बने हाल खसरा नम्बर 1456 का रकबा 0.38 है0 के बजाय 0.08 है0 दुरूस्त करने का अनुरोध किया किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में सरकारी भूमि थी एवं आज भी सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीनीगण की खातेदारी में न तो पूर्व में रही है और ना ही वर्तमान में है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0नं0 324 के हाल ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 बनाये जाकर सिवाय चक राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड की गई। उक्त भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व भी सिवाय चक दर्ज रिकार्ड थी। भू–प्रबन्ध पश्चात् हाल ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 का कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन सोनीलाल पुत्र भौरीलाल कौम नाई सा0 देह को किया गया। प्रार्थीनीगण द्वारा आवंटी खातेदार सोनीलाल पुत्र भौरीलाल जाति नाई से उक्त भूमि ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 1459 के रकबे में किसी प्रकार की कमी–बेशी नहीं की गई है और ना ही प्रार्थीनीगण द्वारा खरीद की गई भूमि ख0नं0 1459 रकबा 0.60 है0 के रकबे में कोई कमी नहीं हुई है। जिस भूमि (साबिक खसरा नम्बर 323 हाल खसरा नम्बर 1456) के संबंध में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, वह प्रार्थीनीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व भी सिवाय चक दर्ज रिकार्ड थी एवं वर्तमान में भी सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि होने के कारण प्रार्थीनीगण को साबिक खसरा नम्बर 323 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम सिण्डोली से बने हाल खसरा नम्बर 1456 की दुरूस्ती के लिए कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीनीगण की ओर से धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested